तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित / [illegible] प्रा० पत्र u/s 144 CPC के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि ग्राम पिड़ावा की वादग्रस्त भूमि को लेकर मूल राजस्व वाद सं० 333/83 उनवान अब्दुल मजीद वगैरह बनाम इरफान खां वगैरह u/s 88, 91, 188 RT Act न्यायालय उपखंड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष पेश किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12/03/1984 द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध वादीगण अब्दुल मजीद वगैरह द्वारा RAA Kota के अपील सं० 113/84 दायर की गई जिसे अपीलीय कोर्ट द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/1988 से आंशिक रूप से स्वीकार (आंशिक रूप से) किया जाकर वादीगण-अपीलांट्स को ग्राम पिड़ावा की आराजी ख० नं० 107 रकबा 4-01 बीघा, ख० नं० 144 रकबा 1-07 बीघा, व ख० नं० 145 रकबा 1-02 बीघा कुल कित्ता 03 पर खातेदार कृषक घोषित कर शेष भूमि ख० नं० 147 रकबा 3-13 बीघा में से 0-13 बीघा की जांच हेतु अधीनस्थ कोर्ट को निर्देशित [illegible] Kota के उक्त निर्णय [illegible] प्रतिवादीगण इरफान खां वगैरह द्वारा [illegible] मंडल में द्वितीय अपील सं० 18[illegible]/88/झालावाड़ दायर की गई। इसी दौरान TDR पिड़ावा द्वारा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय मय इनिशियल्स जज
	RAA kota के आदेश व डिक्री दिनांक 23/2/1988 की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर वादीगण को खातेदार दर्ज कर दिया गया (प्रतिवादीगण की मर्जी पर)
	माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29/12/1994 से अपील अपीलांट प्रतिवादीगण को आंशिक रूप से स्वीकार कर अपील कोर्ट RAA Kota के निर्णय व डिक्री दिनांक 23/2/1988 को निरस्त कर प्रकरण पुनः RAA Kota को Remind (प्रतिप्रेषित) कर दिया गया था अपील RAA Kota के जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23/2/1988 की पालना मे वादीगण को खातेदार के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया था, को राजस्व मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय राजस्व मंडल से रिमाण्ड होकर प्रकरण पुनः RAA Kota के समक्ष लंबित चल रहा था जो दिनांक 16/03/1998 को वादीगण-अपीलांट अब्दुल मजीद खां वगै० की अदम हाजिरी, [illegible] किया गया था जिसके [illegible] restoration कोर्ट [illegible] पर [illegible] नहीं है।
	2. श्रीमान अधिवक्ता (प्रतिवादीगण) ने बहस के दौरान कथन किया कि RAA kota के orders डिक्री दिनांक 23/2/1988 जिसकी पालना मे TDR

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

पिडावा द्वारा नामान्तरण क्र 528 दिनांक 25/5/1988 दर्ज अप्रार्थीगण / वादीगण / अपीलांटस को प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की भूमि पर खातेदार घोषित किया गया था – उसे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23/12/1994 से खारिज किया जा चुका है अत: RAA Kota के निर्णय से प्रार्थीगण को हुऐ अपूरणीय नुकसान की भरपाई हेतु RAA के निर्णय से पूर्व की मूल स्तिथि को बहाल कर वादग्रस्त भूमि को पुन: प्रार्थीगण के खाते दर्ज किया जावे।

3. आमि० अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि भले ही RAA Kota के निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/1988 को राजस्व मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया हो लेकिन यह प्रा० पत्र u/s 144 cpc राजस्व मंडल के निर्णय के करीब 25 वर्षों बाद यानी 2019 मे पेश किया जो 03 वर्ष की समय सीमा से barred होने से पोषणीय नहीं है। आगे तर्क किया कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी न्यायालय के order/डिक्री की 12 वर्षों के बाद पालना नहीं की जा सकती है जबकि [illegible] डिक्री 25 वर्ष पुरानी है। [illegible] प्रार्थीगण स० 1 से 6 [illegible] थे और ना ही [illegible] अत: इन्हे धारा - 144 cpc का प्रा० पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है।

4. आमि० अप्रार्थी 7 ने बहस मे कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में ...
	4.	

किया कि उसने जयें राजि० विक्रय पत्र दिनांक 16/5/2013 से रिकॉर्ड खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था अतः प्रा० पत्र की स्वीकृति से सर्वाधिक नुकसान अप्रार्थी 7 को होगा। प्रार्थीगण को उक्त बैनामा व कब्जे की 2013 से 2013 तक पूर्ण जानकारी होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की अतः अप्रार्थी 7 के हद तक प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

5. बहस प्रा० पत्र u/s 144 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तीनों कोर्टों के निर्णयों व डिक्रीयों का भी अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि मूल वाद दायर करते समय व SDO court की डिक्री दिनांक 12/03/1984 को भी इरफान खां, बुरहान खां पिसरान रमजान खां रिकॉर्ड खातेदार थे। अब्दुल मजीद, अब्दुल मकसूद, मंजूर खां, मंसूर खां पिसरान महमूद खां खातेदार नहीं थे। ट्रायल कोर्ट (SDO court) ने वादीगण अब्दुल मजीद वगै० के वाद को खारिज किया लेकिन माननीय RAA कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/1988 से वादीगण (अपीलांट) अब्दुल मजीद वगै० को प्रतिवादीगण इरफान व बुरहान की भूमि पर खातेदार घोषित किया था जिसकी पालना में TDR पिडावा ने नामांतरण सं० 528 दिनांक 25/5/1988 से खाते[illegible] कर दी गई। RAA Kota के [illegible] निर्णय व [illegible] को द्वितीय अपीलीय कोर्ट [illegible] ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23/12/1994 से खारिज (set-aside)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर दिया गया था जिसकी माननीय High Court में कोई appeal नहीं की गई थी अतः स्पष्ट है कि जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23/2/1988 से प्रार्थीगण अब्दुल मजीद वगैरह खातेदार दर्ज हुए थे - वो खारिज हो चुका है अतः प्रार्थीगण (इस्माईल खां व युसुफ खां के वारिसान) को अपूरणीय क्षति (irreparable loss) होना स्पष्टतः साबित है और इसलिए इसकी भरपाई हेतु निर्णय व डिक्री दिनांक 23/02/1988 के नामान्तरण सं० 528 से पूर्व की स्थिति बहाल (Restitution of original position or restoration of original position) किया जाना न्यायोचित था। प्रार्थीगण मूल स्थिति बहाल कराने के हकदार थे।

6. यहाँ मूल प्रश्न यह भी है कि धारा-144 CPC का प्रा० पत्र मूल डिक्री/आदेश/निर्णय को खारिज/संशोधित किये जाने की दिनांक से कितने समय के अन्दर दायर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए? माननीय supreme court द्वारा Mahjibhai Mohanbhai Barot v/s Patel Manibhai Gokalbhai (1965) मामले में यह तय अभिनिर्धारित किया [illegible] restitution u/s 144CPC is an [illegible] of a decree.",।

अतः स्पष्ट है कि धारा [illegible] का प्रा० पत्र न्यायालय की डिक्री के execution का ही हिस्सा (part) है और इसलिए The Limitation Act

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के में जा

6.

1963 मे दी गई समयसीमा के अधीन ही पेश किया जा सकता है। अतः यहाँ पर आर्टिकल 181 or 182 Limitation Act का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पहले Execution application व Restitution application मे अन्तर को समझना होगा।

(i) "Execution applications under Article 182 are strictly to enforce existing decree without altering their terms, whereas restitution application u/s 144 CPC seeks to recover losses from reversed or varied decrees, invoking principles of natural justice."

(ii) "Since section 144 CPC applications do not fit within the ambit of execution applications, they fall under the residuary category governed by Article 181 of the Act"

7. Mela Ram v/s Dharam chand (1957) मामले मे माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "An application u/s 144 CPC is governed by Article 181 of the Limitation Act which pertains to miscellaneous applications, rather than Article 182, which deals with execution applications"

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

8. परिसीमा अधिनियम के Article 181 मे 03 वर्ष की समयसीमा दी गई। इस्तगासा प्रार्थी

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मे माननीय राजस्व मंडल की निर्णय व डिक्री दिनांक 29/12/1994 को जारी की थी परन्तु प्रार्थिगण द्वारा करीब 25 वर्ष बाद दिनांक 06/8/2019 को यह प्रा० पत्र u/s 144 CPC इस कोर्ट मे पेश किया है जो 03 वर्ष की समयसीमा से बहुत ही देरी से पेश हुआ। इन 25 वर्षों की huge delay का कोई भी Valid and good cause प्रार्थिगण द्वारा पेश (mention) नहीं किया है।

The limitation Act 1963 मे किसी भी प्रकार की execution application की maximum समय सीमा 12 वर्ष की दी गई है जबकि हस्तगत प्रकरण मे 25 वर्ष की देरी से प्रा० पत्र पेश हुआ है। इस unreasonable, huge and unjustified delay को माफ करना, (बिना धारा-5 परिसीमा एक्ट के प्रा० पत्र के) न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भले प्रार्थिगण धारा 144 CPC की सभी conditions पूरी करते हो और RAA Kota की डिक्री से पूर्व की मूल स्थिति बहाल कराने के लिए योग्य [illegible] धारा-5 परिसीमा [illegible] 181 of the Act [illegible] huge, unreasonable and unjustified delay होने से प्रार्थिगण का प्रा० पत्र u/s 144 CPC खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलका[र] हुक्म के[...] में जा[...]
	किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र है।	
	27/2/26 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner